1.06 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। यह परिषद्, विदेशी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी घरेलू चिन्ताओं एवं उद्देश्यों से उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी।

चूंकि बाह्य भौगोलिक सामरिक महत्व का वातावरण तथा देश की आंतरिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का आज विशेष महत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं जिससे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शक्ति के नए संतुलन को स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सोच-विचार द्वारा ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां निर्धारित की जा रही हैं और आज आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया नई शक्तियां प्रदान करती है तथा ऐसी आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में सामाजिक तथा प्रशासनिक ढांचों को तनावपूर्ण बना दिया है, वैसे ही घरेलू स्थिति भी बदल रही है। देश के कुछ भागों में ये प्रवृत्तियां बाहरी ताक्तों द्वारा संयोजित की जाती हैं जो उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों को उनकी गैरकानूनी एवं ध्वसांत्मक गतिविधियों में मदद देती हैं, एवं बढ़ावा देती हैं। अगर इन प्रवृत्तियों को बगैर रोक टोक के जारी रहने दिया जाता है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुंचा सकती हैं।

अतः सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्न-लिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
रक्षा मंत्री	सदस्य
वित्त मंत्री	सदस्य
गृह मंत्री	सदस्य
विदेश मंत्री	सदस्य

यह परिषद् आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा किसी राज्य के मुख्य मंत्री को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकती है। यह परिषद् आवश्यकतानुसार सुविज्ञों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मुख्य प्रयास होगा राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही बाह्य स्थिति तथा हमारी आंतरिक स्थिति के बीच सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। इससे उन रणनीतियों को पहचान होगी जो रक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलने की आशा बढ़ाती है। यह परिषद् इस बात का सुनिश्चय करेगी कि आंतरिक तथा भौगोलिक सामरिक महत्व के वातावरण का मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हो, जिससे कि संबंधित मामलों में सरकारी नीति बनाने में परिप्रेक्ष्य का काम करे। परिषद् के विचार के लिए जो विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे :—

(क) बाह्य खतरे की स्थिति।

(ख) सामरिक महत्व की रक्षा संबंधी नीतियां।

(ग) अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे, विशेष रूप से ऐसे खतरे जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उच्च टेकनालाजी से है।

(घ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रति-विद्रोह, प्रति-आतंकवाद और प्रति-आसूचना जैसे पक्ष शामिल हैं।

(ङ) देश के भीतर ऐसे उन्माद की संभावना होना, विशेष रूप से जिसका सामाजिक, सांप्रदायिक अथवा प्रादेशिक आयाम हो।

(च) भारत की आर्थिक तथा विदेशी नीतियों पर विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सुरक्षा संबंधी उलझनें।

(छ) ऊर्जा, खाद्य तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में बाह्य आर्थिक खतरे।

(ज) तस्करी तथा हथियारों, ड्रगों तथा नार्कोटिक के अवैध व्यापार जैसे सीमापार अपराधों से उत्पन्न खतरे।

(झ) सामरिक महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल अध्यक्ष होंगे और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय होंगे। स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को मंत्रालयों या अन्य सरकारी एजेंसियों या विशेष टास्क फोर्सेस द्वारा जैसे कि पैरा 6 में दर्शाया गया है प्रस्तुत किए गए कागजातों और रिपोर्टों के समुचित अध्ययन का निरीक्षण करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का अपना एक अलग सचिवालय होगा जिसका प्रमुख सचिव होगा और वह अधिकारी भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। यह सचिवालय स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप को भी सेवाएं प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन हेतु, परिषद् के अध्यक्ष जितनी चाहें उतनी टास्क फोर्सिस स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स विशेष क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित होगी और उसके सदस्य सरकारी सुरक्षा मामलों में कार्यरत मंत्रालयों और एजेंसियों से ही लिए जाएंगे। प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख उस टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता होगा। यद्यपि टास्क फोर्स प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय से जुड़ा रहेगा, किन्तु सरकारी या बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए अनुरोध कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर देश के भीतर अधिक से अधिक संभावित सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों को मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विद्वानों, वैज्ञानिकों और प्रशासन सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, सशस्त्र बलों, प्रेस और समाचार

माध्यमों से शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और यह अपनी कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा।

बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से एक रचनातंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् पर विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों एवं उनके अध्ययन कार्य में महत्वपूर्ण निवेश का कार्य करेगा। बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय की सेवाएं प्राप्त होंगी।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.12 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न् भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.20 म० प०

मध्याह्न् भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.20 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन—जारी

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन के सम्बन्ध में संकल्प के पाठ को मैं पहले ही पढ़कर सुना चुका हूं। अब मैं इसी सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

1. सरकार ने देश की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों का व्यापक और समन्वित जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगे और इसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा विदेश मंत्री शामिल होंगे। जब कभी आवश्यकता होगी तो अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी इससे सम्बद्ध किया जायगा। परिषद इसकी बैठकों में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करेगी।

2. ऐसे ढांचे की आवश्यकता तेजी से बदलते बाहरी वातावरण तथा देश में आंतरिक स्थिति के सन्दर्भ में महसूस की गई। परिषद सैन्य तथा असैन्य धमकियों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति समन्वित दृष्टिकोण तैयार करने का प्रयास करेगी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों को आशावादी बनाने तथा सरकार की नीति को आकार देने हेतु एक परिपेक्ष्य के रूप में कार्य करने हेतु मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन का विकास करने हेतु वे रणनीतियों की पहचान में सहायता करेंगे।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक उद्देश्य सामरिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करना तथा जागरूकता पैदा करना भी है। इसे प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है जिसके सदस्य मुख्य मंत्रियों, सांसदों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा उन लोगों

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

में से लिए जाएंगे जिनका प्रशासन, सशस्त्र सेनाओं, प्रेस तथा समाचार माध्यमों में सेवाओं का काफी अनुभव हो। बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एक रचनातन्त्र के रूप में कार्य करेगा।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक अलग सचिवालय होगा। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को मिलकर बना सामरिक कोर ग्रुप तथा सम्बन्धित मंत्री इसे सहयोग देंगे।

5. माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन तथा इसके कार्यों और कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित एक संकल्प सभा पटल पर रखा जाता है।

2.21 म० प०

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में (—जारी)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मेरे पास बहुत सी लड़कियों के फोन आए और मैं वहां पर गया। लड़कों और लड़कियों को कालेज के अन्दर घुस कर मारा गया है, देशबंधु कालेज के प्रिंसीपल डॉ० दलबीर सिंह को भी अन्दर घुस कर पुलिस ने मारा है, टीचर्स को मारा है। डा० दलबीर सिंह और कई लोग अस्पताल में हैं। दिल्ली के अन्दर पुलिस राज हो गया है। मैंने सुबह भी कहा था कि दिल्ली के मामले को निपटाना चाहिए, इसके लिए सरकार या कोई मिनिस्टर आगे बढ़कर कहे कि हम उनसे बात करेंगे। जब जे० के० एल० एफ० और पंजाब के आतंकवादियों को बातचीत करने की आफर जा सकती है तो क्या दिल्ली के नौजवानों से बात करने में कोई आपत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने कालेज में घुस कर प्रिंसीपल, टीचर्स और लड़कियों को मारा है। क्या देश की राजधानी का यही हाल रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं सुबह से इस बात को उठा रहा हूं। आरक्षण के बारे में आडवाणी जी ने नीति बहुत स्पष्ट की है। मेरा कहना है कि ला एण्ड आर्डर का जो पहलू है, दिल्ली के अन्दर लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके लिए किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। सात दिन से पूरी दिल्ली पेरालाइज हुई पड़ी है। न गृह मंत्री महोदय न लेपटीनेंट गवर्नर, कोई बात करने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरी भी छोटी सी समस्या सुन लीजिए। मेरी पत्नी मुम्बई से आने वाली थी, मैं उनको लेने के लिए स्टेशन पर जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा सका, मुझे रास्ते से वापिस आना पड़ा। कोई रास्ता निकालिए, इस समस्या का कोई तो हल निकलना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, लोग आफिसेस में नहीं जा पा रहे हैं, काम-धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं, सारा आवागमन बंद हो गया है। आंदोलनकारियों के अलावा पुलिस को गली मोहल्ले में जो भी मिल जाता है, उसको भी पुलिस मार रही है, पूरा पुलिस राज सा हो रहा है, खुराना जी की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं।